



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2017]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2016/श्रावण 20, 1938

No. 2017]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/SRAVANA 20, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

का. आ. 2696(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग हेतु किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. संख्या 1011 (अ), तारीख 13.07.2005 द्वारा रियायतग्राही, मैसर्स मुम्बई-जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड को महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4बी (नया रासा-348) के 5.000 कि.मी. से 26.987 कि.मी. तक (ए1 से ई-सेक्शन), 0.000 कि.मी. से 4.400 कि.मी. तक (डी-जी सेक्शन) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (नया रासा-48) के 106.000 कि.मी. से 109.500 कि.मी. तक के खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क का संग्रहण और उसे प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत किया था। यह शुल्क दो टोल प्लाजाओं, अर्थात् एक 13.050 कि.मी. पर तथा दूसरा 23.250 कि.मी. पर स्थित, पर संग्रहीत किया जाना है।

और महाराष्ट्र सरकार ने, बम्बई मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 (1958 का बम्बई एलएक्सवी) की धारा 20 की उप-धाराओं (1-क), (1-ख), (1-ग), (1-घ) और (1-ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पीएसपी. 2003/सीआर-249/रोड-9ए, तारीख 20.11.2010 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एसएच-54 के आम्र मार्ग के 6.400 कि.मी. से 14.550 कि.मी. और 0.000 कि.मी. से 6.202 कि.मी. तक के सेक्शन, जिसमें पनवेल क्रीक पर नए छह लेन के पुल का निर्माण शामिल है, के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने के लिए रियायतग्राही, मैसर्स मुम्बई-जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड, को प्राधिकृत किया था। यह शुल्क 9.100 कि.मी. पर संग्रहीत किया जाना है।

और, एसएच-54 के आम्र मार्ग के 6.400 कि.मी. से 14.550 कि.मी. तथा 0.000 कि.मी. से 6.202 कि.मी. तक के उक्त सेक्शन को अधिसूचना संख्या का.आ. 1513 (अ), तारीख 13.06.2014, द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 348ए घोषित किया गया है।

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग हेतु किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग

अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 1011(अ), तारीख 13.07.2005 में आंशिक संशोधन करते हुए, जिसे भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, और महाराष्ट्र राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग, मुम्बई के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या पीएसपी. 2003/सीआर-249/रोड-9ए, तारीख 20.11.2010 द्वारा 13.050 कि.मी., 23.250 कि.मी. और 9.100 कि.मी. पर प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण को एतद्द्वारा बंद करती है और इसके बजाय जेएनपीटी पोर्ट गेट परिसरों पर राष्ट्रीय राजमार्ग की समाप्ति पर प्रयोक्ताशुल्क संग्रहीत करने हेतु रियायतग्राही मैसर्स एमजेपीआरसीएल को अनुमति प्रदान करती है।

[फा. सं. आरडब्लू/एनएच-37011/7/2005-पीआइसी]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2016

S.O. 2696(E).—In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 1011(E), dated 13.07.2005 authorized the Concessionaire, M/s Mumbai-JNPT Port Road Company Ltd., to collect and retain fees from the mechanical vehicles for the use of section from km. 5.000 to km. 26.987 (A1 to E Section), from km 0.000 to km 4.400 (D-G Section) of National Highway No. 4B (new NH-348) and from km 106.000 to km 109.500 of National Highway No. 4 (new NH-48) in the State of Maharashtra. The fee is to be collected at two plazas, one at km 13.050 and another at km 23.250.

And, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1-A), (1-B), (1-C), (1-D) and (1-E) of section 20 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 (Bom. LXV of 1958), the Government of Maharashtra by notification no. PSP.2003/CR-249/Road-9A dated 20.11.2010 authorized the Concessionaire, M/s Mumbai-JNPT Port Road Company Ltd., to collect and retain fees from the mechanical vehicles for the use of section from km. 6.400 to 14.550 and km. 0.000 to 6.202 of Amra Marg of SH-54 including construction of new Six Lane Bridge on Panvel creek in the State of Maharashtra. The fee is to be collected at km. 9.100.

And, the said section from km. 6.400 to 14.550 and km. 0.000 to 6.202 of Amra Marg of SH-54 has been declared as National Highway no. 348A vide S.O. No. 1513(E), dated 13.06.2014.

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, in partial modification to the Notification S.O. No.1011(E), dated 13.07.2005 published in the Gazette of India , Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) and Notification No. PSP.2003/CR-249/Road-9A dated 20.11.2010 published in Gazette of Maharashtra State Government in Public Works Department, Mumbai, Central Government hereby discontinue the collection of user fee at km. 13.050, km. 23.250 and km 9.100 and instead allow Concessionaire M/s MJPRCL to collect the user fee at the end of National Highway at JNPT Port gate complexes.

[F. No. RW/NH-37011/7/2005-PIC]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.